निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार संहिता

Code of Business Conduct and Activities for Board of Members and Senior Management

1.0 **प्रस्तावना**

1.1 इस संहिता को नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) तकि (जिसे आगे " कम्पनी " कहा गया है) के निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए "कारोबार संहिता एवं नीति शास्त्र " कहा जाएगा।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कम्पनी के कार्यो मे नीति शास्त्र के सिद्धान्त पारदर्शी प्रक्रियाऍ सुनिश्चित करना है।

1.3 निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेस के प्रावधानो के अनुपालन में बनाई गई है।

1.4 यह ---------- (वर्ष तथा महीना) से लागू होगी।

2.0 **परिभाषाएं एवं व्याख्याएं**

2.1 निदेशक मंडल के सदस्यों से अभिप्राय कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्यों से है।

2.2 "पूर्णकालिक निदेशक " अथवा "प्रकार्यात्मक निदेशक " कम्पनी के निदेशक मंडल में वे निदेशक हैं जो कम्पनी की पूर्णकालिक सेवा में हैं।

2.3 अंशकालिक निदेशकों से अभिप्राय निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है जो निगम की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है।

2.4 "संबंधी" शब्द का अभिप्राय वही होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है।

2.5 "वरिष्ठ प्रबंधन " शब्दों से अभिप्राय कम्पनी के उन कार्मिकों से है जो इसकी मुख्य प्रबंधन टीम में शामिल है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शामिल नहीं है यथापि प्रकार्यात्मक विभागाध्यक्षों सहित पूर्ण कालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल हैं।

2.6 "कम्पनी " में अभिप्राय नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) से है।

टिप्पणीः- इस संहिता में पुलिंग शब्दो में स्त्रीलिंग तथा एकवचन शब्दों मे बहुवचन तथा इसका विपरीत अर्थ समाहित होगा।

3.0 **अनुप्रयोज्यता**

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगीः-

क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक

ख) विधि के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी अंशकालिक निदेशक ।

ग) वरिष्ठ प्रबंधन।

4.0 **संहिता की विषय वस्तु**

भाग – । सामान्य नैतिक अनिवार्यताएंù

भाग – ।। विशिष्ट व्यवसायिक उत्तरदायित्व

भाग - ।।। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशष्ट अतिरिक्त प्रावधान

यह संहिता व्यावसायिक कार्य - संचालन में नीति शास्त्र के उपयोग का आधार है। यह व्यवसायिक कार्यो में नीति शास्त्र के उल्लंघन की औपचारिक शिकायत का आधार भी बन सकती है।

यह माना जा सकता है कि नीति शास्त्र एवं कारोबार आचार संहिता में कु शबदों एवं बाक्यांश की व्याख्या भिन्न -भिन्न हो सकती है। अतः किसी विरोधी की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

भाग - ।

5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएंù

5.1 समाज एवं मानवता के हित में योगदान

5.1.1 जन समुदाय के जीवन में गुणवक्ता लाने का अर्थ है कि मौलिक मानव अधिकारों सहित सभी संस्कृतियों की विविधताओं का सम्मान किया जाए। हमें निश्चित रूप से यह प्रयासस करना चाहिए कि हमारी सेवाएं एवं गतिविधियां सामाजिक दृष्टि से तथा उत्तरदायी ढंग से सम्पन्न हो, सामाजिक

आवश्यकताओं की पूर्ति करे व्यक्ति अथवा समुदाय के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले तथा अंतत्वोगत्वा किसी के हितों पर भी कोई कुठाराघात न हो।

5.1.2 अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन जो कम्पनी की गतिविधियों एवं विकास के लिए उत्तरदायी है मानव जीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति वैधानिक एवं नैतिक रूप से स्वयं जागरूक रहें तथा अन्य को भी जागरूक बनाएं।

5.2 ईमानदार, विश्वसनीय एवं सत्यानिष्ठ रहें

5.2.1 सत्यानिष्ठा एवं ईमानदारी विश्वास के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना कोई संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता।

5.2.2 निदेशक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सत्यानिष्ठा से कार्य करे तथा कम्पनी की कारोबार गतिविधियो में ईमानदारी एवं आचरण के उच्च मानकों का अनुसरण करें।

5.3 निष्पक्ष रहें तथा कोई भेद भावपूर्ण कार्रवाई न करें

5.3.1 समानता, सहनशीलता, सभी के प्रति सम्मान, समान न्याय जैसे सिद्धान्त इस प्रकार की अनिवार्यताओं के अंतर्गत आते हैं। जाति, लिंग, धर्म, आयु विकलांगता, राष्ट्रीयता के आधार पर भेद भाव करना इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

5.4 गोपनीयता का सम्मान करें

5.4.1 ईमानदारी का सिद्धान्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा करता है। सभी हितधारकों के प्रति गोपनीयता के दायित्व का सम्मान करना पहला कर्त्तव्य है। जब तक विधि द्वारा अथवा इस संहिता के अंतर्गत अपेक्षित न हो, सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।

5.4.2 अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कम्पनी के कारोबार तथा कार्यो सहित अप्रकशित सूचना की गोपनीयता कायम रखेगे।

5.5 प्रतिज्ञा एवं व्यवहार

5.5.1 कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना

5.5.2 जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निर्बाध रूप से कार्य करना।

5.5.3 कम्पनी के विकास एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करना।

5.5.4 कम्पनी को गौरवशाली बनाना तथा कम्पनी के हितधारकों को सिद्धान्तों पर आधारित सेवा प्रदान करना।

भाग - II

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक दायित्व

6.1 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की दूर दृष्टि, लक्ष्य एवं मूल्यों को दिन - प्रति - दिन साकार रूप देना। तुरंत संदर्भ के लिए उन्हें नीचे दिया गया हैः-

दृष्टि

पिछड़े वर्गो के लक्ष्य समूह को आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

लक्ष्य

पिछड़े वर्गो के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों एवं कौशल विकास हेतु रियायती पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

मूल्य

- उत्कृष्टता तथा परिवर्तन के लिए उत्साह एवं उत्कंठा बनाए रखना।
- सभी मामलों मे सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता रखना।
- व्यक्तियों के आत्म सम्मान तथा कार्य करने की क्षमता को स्वीकृति प्रदान करना।
- वचनबद्धताओं का सम्पूर्ण अनुपालन ।
- प्रत्युत्तरों में गति सुनिश्चित करना एवं सीखने के लिए तत्पर रहना।
- सृजनात्मकता तथा टीमवर्क को सशक्त बनाना ।
- कम्पनी के प्रति निष्ठा एवं उदारता की भावना रखना।

6.2 व्यवसायिक कार्य के दौरान प्रक्रियाओ तथा सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभाव कारिता तथा स्तर बनाए रखना

अपने कार्यो में निरंतर उत्कृष्टता बनाए रखना किसी भी व्यवसायिक की पहली एवं महती आवश्यकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसायिक कार्य के दौरान प्रक्रियाओं तथा सेवाओं में गुणवत्ता, प्रभाव कारिता एवं उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए।

6.3 व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करना एवं रखनाः अपने कार्य में उत्कृष्टता उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ही लाई जा सकती है कि दक्षता के उपयुक्त स्तर प्राप्त करने के लिए कार्य करें।

6.4 विधियों का अनुपालनः निदेशक मंडल के सदस्य तथा कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान में लागू स्थानीय, राज्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करेंगे। वे केन्द्रीय लोक उद्यम के कारोबार संबंधी नीतियों , कार्यविधियों नियमों तथा विनियमो का भी पालन करेंगें।

6.5 उपयुक्त व्यवसायिक समीक्षा स्वीकार करना तथा उपलब्ध करानाः गुणवत्तायुक्त व्यवसायिक कार्य व्यवसायिक समीक्षा तथा टिप्पणियों से ही संभव है। जब भी अवसर मिलें, प्रत्येक द्वारा अपने सहकर्मियों के कार्यो की समीक्षा करनी चाहिए तथा उससे सीखना चाहिए अन्य कर्मियों के कार्यो की भी रचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए।

6.6 कार्यवातावरण में गुणवत्ता हेतु कर्मिकों एवं संसाधनों का समुचित उपयोगः संगठन में कार्य करने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे कंपनी में ऐसी कारोबारी वातावरण का सृजन करें कि सभी सहकर्मी हृदय से कंपनी के विकास में पूरा योगदान दें। निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन ऐसी स्थितियां उत्पन्न करें कि सभी कर्मचारियों का आत्म - सम्मान सुनिश्चित हो सकें। सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराते हुए कर्मचारियों को अपनी व्यवसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि केन्द्रीय लोक उद्यम के कार्यो एवं सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

6.7 ईमानदार रहे तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचेः निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार अन्य संबंधों के माध्यम से कोई व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा कंपनी के लेन - देन के कार्यो के दौरान किसी प्रकार का परिश्रमिक प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें उपहार तथा अच्छे मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं जो संगठन के कारोबार को प्रभावित करने तथा किसी एजेंसी आदि को ठेका प्रदान करने के दौरान दिए जा सकते हैं।

6.8 कॉरपोरेट अनुशासन बनाए रखेः केन्द्रीय लोक उद्यम की सूचनाओं का अदान - प्रदान कठोर सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता । कर्मचारी अपनी बात कह सकते हैं। किसी निर्णय पर पहँचने के लिए अपना मत प्रस्तुत करनें में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए तथापि एक बार सहमति हो जाने पर, यह उम्मीद की जाती है कि सभी इसका पालन करेंगे चाहे व्यक्तिगत रूप में कुछ मामले में असहमति भी क्यों न हो । कुछ मामलों में नीतियां मार्गदर्शन करती हैं कुछ में बाधक भी बन सकती हैं। अतः सभी को यह अंतर समझना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि नीतियों का अनुपालन करना क्यों आवश्यक है।

6.9 कंपनी के हित मे कार्य करेः सभी से यह उम्मीद की जाती है कि ड्यूटी पर ड्यूटी के बाद भी हमेशा कंपनी के हित में कार्य करें। व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा व्यवहार से अंतत्वोगत्वा कंपनी की साख बनती है। यह ध्यान रखा जाए कि कंपनी के कार्मिकों तथा जनसमूह में भी कंपनी उसी प्रकार की वि बनती है, जो बनाई जाती है।

6.10 निगम के हितधारकों के प्रति जिम्मेदार बनेः कंपनी कई प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करती है, एक ओर ग्राहक है, जिनके बिना कंपनी के कारोबार की कल्पना नहीं की जा सकती , अंशधारक हैं, जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है, कंपनी के कर्मचारी हैं जिनका हित इससे जुड़ा हुआ है, विक्रेता है जो समय पर सेवाएंù देकर कंपनी की सहायता करते हैं तथा समाज है जिसके प्रति कंपनी जिम्मेदार है। ये सभी कंपनी के हितधारक है। अतः सभी को ध्यान रख कर सर्वदा कंपनी हितधारकों के प्रति जिम्मेदार रहें।

6.11 अनाधिकृत व्यापार से दूरी बनानाः निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की आंतरिक कार्यविधि संहिता का पालन करेंगे तथा कंपनी की प्रतिभूतियों के मामले में अनाधिकृत व्यापार से दूरी बनाए रखेंगे।

6.12 कारोबार जोखिमों की पहचान, कर उन्हें कम तथा व्यवस्थित करनाः यह प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि कंपनी के कारोबार जोखिमों की पहचान करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन रूप रेखा का पालन करें तथा जोखिमों से बचाव के क्षेत्र मे कंपनी को सहयोग दें।

6.13 कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करेः निदेशक मंडल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की सम्पदा , सूचनाओं तथा बौद्धिक अधिकारों सहित सभी प्रकार की संपत्तियों की रक्षा करेंगे।

भाग - III

7.0 विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

7.1 निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधनः निदेशक मंडल तथा समितियां जिनके वे सदस्य हैं की बैठकों सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

7.2 निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में

7.2.1 वचन देते हैं कि उनकी निदेशक मंडल में स्थिति, अन्य करोबार तथा घटनाएं/ परिस्थितियों के कारण निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की समितियों में उनके कार्यो अथवा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की स्वतंत्र अपेक्षाओं तथा लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों को पूरा करने में यदि उनका विवेक प्रभावित हो सकता है तो उसकी सूचना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को देंगे।

7.2.2 वचन देते है कि निदेशक मंडल के उन सदस्यों की जिन्हे मामले में व्यक्तिगत रूप से कोई लेना -देना नहीं है,की पूर्व अनुमति के बिना हितों की टकराहवट से बचेंगे। हितों की टकराहट उस सामने आती है जब व्यक्तिगत हित कंपनी हित पर भारी पड़ने लगते हैं, उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित मामले हो सकते हैः

संबंधित पार्टी प्रकटनः कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ लेन - देन का कार्य करना अथवा संबंध रखना जिनमें उनका वित्तीय अथवा कोई व्यक्तिगत हित जुड़ा हो (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जैसे अपने परिवार के सदस्य अथवा संबंधी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन जिससे वे जुड़े हुए हैं।)

अन्य कंपनी में निदेशक का पद लेनाः कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद ग्रहण करना।

परामर्शदात्री सेवा / कारोबार / रोजगारः किसी भी ऐसी गतिविधि में लगना (चाहे यह परामर्शदात्री सेवा, कारोबार चलाना ,रोजगार स्वीकार करना है) जो कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/ उत्तरदायित्वों में बाधक हो सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए अथवा किसी आपूर्तिकर्ता , सेवा प्रदाता अथवा कंपनी के ग्राहक से किसी प्रकार नहीं जुड़ना चाहिए।

व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का उपयोगः निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अपने पद का व्यक्तिगत लाभ् के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7.3 कारोबार संहिता एवं नीति शक्ति के सिद्धान्तों का अनुपालन

7.3.1 निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य इस संहिता के सिद्धान्त का पालन करेंगे तथा इसका संवर्द्धन करेंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी उत्कृष्टता तथा नीति शा0 के सिद्धान्तों के समुचित अनुपालन दोनों ही स्तंभों पर टिका हुआ है। अतः निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को इस संहिता में दिए गए सिद्धान्तों पर न केवल स्वयं चलना चाहिए बल्कि दूसरों को भी इसके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.3.2 इस संहिता का उल्लंघन कंपनी के साथ स्थापित संबंध में असंगति माना जाएगाः व्यावसायिकें द्वारा इस संहिता का अनुपालन सामान्यतः स्वैच्छिक है। तथापि निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन यदि इसका पालन नहीं करता है तो निदेशक मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी के पास चूकक र्ता के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

7.4 विविध मुद्दे

7.4.1 संहिता का निरंतर अद्यतनः इस संहिता की निरंतर रूप से समीक्षा की जाएगी। विधि, कंपनी के दर्शन, दूरदृष्टि तथा कारोबार योजनाओं अथवा अन्य परिवर्तन जो बोर्ड आवश्यक समझेगा , संहिता मे संशोधन/ परिवर्तन किए जायेंगे तथा वे जिस तारीख को किए जाऐंगे उसी तारीख से लागू होंगे।

7.4.2 स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त करें

निदेशक मंडल अथवा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य को यदि इस संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण कि आवश्यकता है तो वह कंपनी सचिव अथवा निदेशक मंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए
कारोबार अचार संहिता एवं
नीति शास्त्र की प्राप्ति की सूचना

मैंने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र को प्राप्त कर लिया है तथा पढ़ लिया है मै कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र में दिए गए मानकों एवं नीतियों को समझता हूँ तथा यह भी जानता हूँ कि मेरे कार्य के संबंध में विशिष्ट अतिरिक्त नीतियां अथवा विधि हो सकती है। मैं कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र के पालन के लिए सहमत हूँ।

यदि कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र के अर्थ एवं प्रयोग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घाटन की नीतियों अथवा मेरे कार्य के संबंध में कानूनी एवं विनिमायक अपेक्षाओ के संबंध में मेरी कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न है तो मैं यह जानता हूँ कि मैं निदेशक अथवा कंपनी सचिव से परामर्श कर सकता हूँ तथा मेरे प्रश्नों अथवा रिपोर्टो को गोपनीय रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त मै, वार्षिक आधार पर कंपनी सचिव अथवा कंपनी के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रतिवर्ष 31 मार्च,से 30 दिन के अंदर संलग्न पुष्टि उपलब्ध कराने का वचन देता हूँ।

अभिपुष्टि

(निदेशक मंडल के सदस्यों / वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधर पर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक देने के लिए)

मैं .....(नाम) .....(पदनाम) एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र को पढ़ा एवं समझा है । 31 मार्च .....को समाप्त वर्ष के दौरान संहिता का अनुपालन किया है तथा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

तारीखः